658
01/4/2022

झारखण्ड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

"झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022" के तहत थोक बिक्री अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती हेतु विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना संख्या 649 दिनांक–31.03.2022 द्वारा अधिसूचित एवं प्रवृत्त "झारखण्ड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022" के तहत दिनांक 01.05.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए झारखंड राज्य के सभी संचयनकर्त्ता के गोदामों (वेयरहाउस) में मदिरा की थोक बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती निम्न कार्यक्रम के अनुसार संपादित की जायेगी –

1.	ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने हेतु विभागीय पोर्टल (jharkhandtender.gov.in/nic.in) पर आवेदन करने की प्रारम्भिक तिथि	05.04.2022
2.	मदिरा के भंडारण एवं थोक बिक्री अनुज्ञप्ति हेतु सभी कागजातों के साथ विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि	**19.04.2022, 04:00 PM** तक
3.	ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न कागजातों की मूल प्रति उत्पाद मुख्यालय में समर्पित करने की अंतिम तिथि	**19.04.2022, 06:00 PM** तक
4.	प्राप्त आवेदनों की जाँच हेतु निर्धारित तिथि	**20.04.2022** से **23.04.2022** तक

2. उक्त नियमावली के तहत आवेदन करने हेतु नियमावली की शर्त्तें, आवेदन प्रपत्र, शपथ पत्र, पात्रता की शर्त्तें, समर्पित किये जाने वाले कागजातों की विवरणी एवं बंदोबस्ती की प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत सूचना का अवलोकन jharkhandtender.gov.in/nic.in वेबसाइट पर किया जा सकता है।

01/04/2022
आयुक्त उत्पाद,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

''झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022'' के तहत थोक बिक्री अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती हेतु विहित आवेदन पत्र एवं शर्त्तें

क्र०	विषय—वस्तु	अनुसूची	पृष्ठ संख्या
1	आवेदन हेतु विहित प्रपत्र	i	3-5
2	आवदेन हेतु पात्रता की शर्त्तें, समर्पित किये जाने वाले कागजात, अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया एवं अन्य शर्त्तें	ii	6-9
3	शपथ पत्र	iii	10-11
4	Counterpart Agreement	iv	12
5	झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022 की प्रति	v	13-34

आवेदन हेतु विहित प्रपत्र

1. आवेदक कम्पनी का नाम :–
2. आवेदक कम्पनी का पंजीकृत पता :–
3. आवेदक कम्पनी का झारखण्ड राज्य में शाखा कार्यालय का पता:–
4. आवेदक कम्पनी के निदेशकों के नाम, पता एवं उम्र (जन्म तिथि सहित) :–

क्र०	निदेशक का नाम	स्थायी पता	उम्र / जन्म तिथि	समर्पित पहचान पत्र
1				
2				
3				
4				
5				

निदेशकों का स्वभिप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो

5. आवेदक कम्पनी का दो वर्षों का कार्य अनुभव (संबंधित राज्य / जिला में निर्गत थोक अनुज्ञप्ति की प्रति एवं कार्य अनुभव का जिला उत्पाद पदाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र) :–
6. आवेदक कम्पनी का Turnover :–
7. (i) झारखण्ड राज्य में पंजीकृत आपूर्त्तिकर्त्ता / विनिर्माता जिनसे मदिरा आपूर्त्ति की जायेगी, की संख्या :–

   (ii) ब्राण्ड की संख्या :–
8. आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले कागजात :–

क्र०	समर्पित कागजात / दस्तावेज	हाँ / ना	पृष्ठ संख्या	अभियुक्ति
1	कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत कम्पनी के निगमन / पंजीयन से संबंधित प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation/Registration) की दो प्रतियाँ।			

2	कम्पनी का मेमोरेण्डम ऑफ एशोसिएशन (Memorandum of Association) एवं आर्टिकल्स ऑफ एशोसिएशन (Articles of Association) की दो प्रतियाँ।			
3	कम्पनी का विगत तीन वर्षो का अंकेक्षित (Audited) वित्तीय अभिलेख यथा बैलेंस सीट (Balance Sheet) एवं लाभ हानि खाता (Profit & Loss Account)।			
4	कम्पनी की अवस्थिति के संबंध में संलग्न प्रपत्र 18 की प्रति।			
5	कम्पनी के निदेशकों के संबंध में संलग्न प्रपत्र 29 एवं 32 की प्रति।			
6	कम्पनी का पैन कार्ड एवं कम्पनी के सभी निदेशकों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र।			
7	कम्पनी का GST Registration No. एवं GST Return की प्रति।			
8	कम्पनी का विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन की प्रति।			
9	कम्पनी का विगत तीन वित्तीय वर्षो का बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर/प्रोफेशनल कर इत्यादि से संबंधित अद्यतन Return Filing की प्रति।			
10	कम्पनी के निदेशक मंडल (Board of Directors) के द्वारा मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के संबंध में पारित रिजोल्यूशन (Resolution) की प्रति।			
11	कम्पनी के Board of Directors के द्वारा पारित कम्पनी Resolution के साथ कम्पनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में जारी अधिकार पत्र की मूल प्रति।			
12	कम्पनी का चालू बैंक खाता की प्रति।			
13	कम्पनी का पोजिटिव नेट वर्थ (Positive Net Worth) से संबंधित अभिलेख।			
14	आपूर्त्तिकर्त्ता का सहमति पत्र, जिसके लिए थोक विक्रेता के द्वारा मदिरा की बिक्री खुदरा उत्पाद दुकानों को की जायेगी। यह सहमति पत्र Non Judicial Stamp Paper पर Notarized शपथ पत्र के माध्यम से समर्पित किया जायेगा।			
15	निर्धारित प्रतिभूति राशि, आवेदन शुल्क एवं अग्रिम अनुज्ञप्ति शुल्क का चालान की प्रति।			
16	₹ 100/– के Non Judicial Stamp Paper पर तैयार किया गया प्रतिरूप करार (Counterpart Agreement)।			
17	अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क 01 (एक) लाख रूपया से संबंधित चालान/बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति।			
18	आवेदक की वित्तीय क्षमता से संबंधित प्रमाण (राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उक्त के संबंध में निर्गत प्रमाण) पत्र।			

19	अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत उत्पाद विभाग के साथ सम्व्यवहार हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का पूर्ण बायोडाटा।			
20	कम्पनी के CA द्वारा जारी किया गया Turnover Certificate ।			

8. आवेदक द्वारा विनिर्माता/आपूर्तिकर्त्ता इकाई के संबंध में उपलब्ध कराया गया पूर्ण विवरण :–

क्र०	विनिर्माता/आपूर्ति कर्त्ता इकाई का नाम/पता	विनिर्माण इकाई का नाम व पता	विनिर्माता/आपूर्ति कर्त्ता इकाई का निबंधित पूर्ण पता	मदिरा का ब्राण्ड/लेबल	Size/ धारिता	पेटी में बोतल/ केन की संख्या	अभियुक्ति
1							
2							
3							
4							
5							

9. हमारी कम्पनी ''झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022'' की शर्तों से आबद्ध रहेगा।

10 शपथ पत्र :–

आवेदक कम्पनी के निदेशक/
प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

''झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022'' के तहत थोक बिक्री अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती हेतु पात्रता की शर्त्तें, शपथ पत्र, समर्पित किये जाने वाले कागजातों की विवरणी एवं अन्य शर्त्तों की संक्षिप्त विवरणी –

1. **मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता की अनिवार्य शर्त्तें–**

(i) मदिरा की थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति केवल उन कम्पनियों को प्रदान की जायेगी, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत तथा संचालित है। अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरान्त सफल आवेदक तीन माह के अन्दर अपना शाखा कार्यालय (Branch Office) राज्य के अंदर स्थापित करना सुनिश्चित करेगा। आवेदक कम्पनी मदिरा का विनिर्माणकर्त्ता एवं आपूर्त्तिकर्त्ता नहीं होना चाहिए।

(ii) आवेदक कम्पनी के निदेशक, भारत का नागरिक हो एवं 21 वर्ष से कम आयु का न हो।

(iii) आवेदक की कम्पनी एवं उसके निदेशकों को, व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित अथवा झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के अंतर्गत बनायी गई किसी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित न किया गया हो।

(iv) आवेदक की कम्पनी एवं उसके निदेशकों कोकिसी न्यायालय द्वारा किसी भी गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो। यदि किसी आवेदक को फौजदारी न्यायालय द्वारा सजा दी गई हो, अथवाझारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा झारखंड छोआ अधिनियम, 1947 से संबंधित कानूनों एवं नियमों के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो, तो इसके अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(v) आवेदक कम्पनी/कम्पनी के निदेशकों के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई सरकारी बकाया यथा Public Demand recovery Act, राज्य सरकार द्वारा प्रभावी अन्य अधिनियम या नियमावली के तहत बकाया न हो।

(vi) आवेदक कम्पनी/कम्पनी के निदेशक, दिवालिया न हो।

(vii) आवेदक कम्पनी को कम–से–कम मदिरा के दो (2) वर्ष का थोक विक्रय का अनुभव होना चाहिए।

(viii) आवेदक कम्पनी का विगत दो वित्तीय वर्ष में लगातार न्यूनतम 100 करोड़ रूपये प्रति वर्ष का Turnover होना चाहिए।

उपरोक्त शर्त्तो को पूर्ण नहीं करने वाले आवेदकों के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. **आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले कागजात–** झारखंड राज्य में मदिरा के थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु इच्छुक आवेदक, विहित प्रपत्र में अपना लिखित आवेदन आयुक्त उत्पाद के समक्ष समर्पित करेंगे। आवेदक को कंडिका–1 में वर्णित कागजातों के अतिरिक्त निम्न विवरणी का उल्लेख तथा कागजातों का संलग्न किया जाना आवश्यक होगा –

i. कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत कम्पनी के निगमन/पंजीयन से संबंधित प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation/Registration) की दो प्रतियाँ;

ii. कम्पनी का मेमोरेण्डम ऑफ एशोसिएशन (Memorandum of Association) एवं आर्टिकल्स ऑफ एशोसिएशन (Articles of Association) की दो प्रतियाँ;

iii. कम्पनी का विगत तीन वर्षो का अंकेक्षित (Audited) वित्तीय अभिलेख यथा बैलेंस सीट (Balance Sheet) एवं लाभ हानि खाता (Profit & Loss Account);

iv. कम्पनी की अवस्थिति के संबंध में प्रपत्र 18 की प्रति;

v. कम्पनी के निदेशकों के संबंध में प्रपत्र 29 एवं 32 की प्रति;

vi. कम्पनी का पैन कार्ड एवं कम्पनी के सभी निदेशकों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र;

vii. कम्पनी का GST Registration No. एवं GST Return की प्रति;

viii. कम्पनी का विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन की प्रति;

ix. कम्पनी का विगत तीन वित्तीय वर्षो का बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर/प्रोफेशनल कर इत्यादि से संबंधित अद्यतन Return Filing की प्रति;

x. कम्पनी के निदेशक मंडल (Board of Directors) के द्वारा मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के संबंध में पारित रिजोल्यूशन (Resolution) की प्रति;

xi. कम्पनी का चालू बैंक खाता की प्रति;

xii. कम्पनी का पोजिटिव नेट वर्थ (Positive Net Worth) से संबंधित अभिलेख;

xiii. कम्पनी के Board of Directors के द्वारा पारित कम्पनी Resolution के साथ कम्पनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में जारी अधिकार पत्र की मूल प्रति;

xiv. आपूर्त्तिकर्त्ता का सहमति पत्र, जिसके लिए थोक विक्रेता के द्वारा मदिरा की बिक्री खुदरा उत्पाद दुकानों को की जायेगी। यह सहमति पत्र Non Judicial Stamp Paper पर Notarized शपथ पत्र के माध्यम से समर्पित किया जायेगा;

xv. निर्धारित प्रतिभूति राशि 2 (दो) करोड़ रूपये एवं अग्रिम अनुज्ञप्ति शुल्क 50 (पचास) लाख रूपये का चालान की प्रति आवेदक को आवेदन के साथ जमा करना होगा;

xvi. आवेदक द्वारा विनिर्माता/आपूर्त्तिकर्त्ता इकाई के रजिस्टर्ड कार्यालय का पूर्ण पता, संग्रहित की जाने वाली मदिरा के ब्राण्ड व लेबलों की सूची, जो झारखंड राज्य में प्रदाय के लिए पंजीकृत है, के प्रत्येक लेबल की एक पेटी एवं केस में पैक की गई बोतलों तथा कैन्स की संख्या व उसकी धारिता का विवरण, विनिर्माण इकाई का स्थान, जहाँ से उक्त लेबलों की मदिरा लायी जायेगी, का आवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा;

xvii. इस नियमावली के साथ संलग्न प्रतिरूप करार (Counterpart Agreement) जो रू0 100/– के Non Judicial Stamp Paper पर तैयार किया गया;

xviii. अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क 01 (एक) लाख रूपये का चालान/बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति;

xix. आवेदक की वित्तीय क्षमता से संबंधित प्रमाण (राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा वित्तीय क्षमता के संबंध में निर्गत प्रमाण) पत्र;

xx. अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत उत्पाद विभाग के साथ सम्व्यवहार हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का पूर्ण बायोडाटा;

xxi. कम्पनी के CA द्वारा जारी किया गया Turnover Certificate;

xxii. अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत आयुक्त उत्पाद द्वारा समय–समय पर मांगे जाने वाले अन्य वांछित अभिलेख;

xxiii. अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत ''झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022'' के नियम 6 (xvi) में अंकित दस्तावेजों के अतिरिक्त एवं अतिरिक्त ब्राण्डों के दस्तावेज को समर्पित करने के आवेदन पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा स्वीकृति प्रदान किया जा सकेगा एवं उक्त नियमावली के नियम 10 (iii) का अनुपालन थोक विक्रेता एवं आपूर्त्तिकर्त्ता को करना होगा;

xxiv. *जमानत की राशि एवं अनुज्ञप्ति शुल्क–* झारखंड राज्य में मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति के चयन के लिए प्रत्येक योग्य आवेदक को एक वित्तीय वर्ष हेतु न्यूनतम 50 (पचास) लाख रूपये एवं इसके अतिरिक्त रू0 5 प्रति बल्क लीटर की दर से अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा, जो थोक विक्रेता के द्वारा JSBCL के गोदाम में मदिरा संचयन के पूर्व राज्य कोषागार में जमा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त **जमानत राशि** के रूप में 2 (दो) करोड़ रूपये जमा करना अनिवार्य होगा।

xxv. वित्तीय वर्ष के मध्य में किसी आवेदक के द्वारा थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति प्राप्त की जाती है, तो वित्तीय वर्ष के उस तिमाही से शेष बचे हुए वित्तीय वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क त्रैमासिक समानुपातिक रूप से एकमुश्त देय होगा। उदाहरणस्वरूप–अनुज्ञप्ति शुल्क यदि द्वितीय तिमाही में आयुक्त उत्पाद के द्वारा स्वीकृत की जाती है, तो आवेदक को तीन तिमाही का अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा। प्रथम तिमाही में अनुज्ञप्ति स्वीकृत होने की स्थिति में पूरे वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा।

xxvi. *जमानत की राशि की वापसी–* अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के पश्चात राज्य सरकार को देय सभी बकाया राशि के समायोजन के पश्चात जमानत की राशि की वापसी की जायेगी। समय–समय पर वर्णित जमानत की राशि में परिवर्तन आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जा सकेगा।

xxvii. असफल आवेदकों द्वारा आवेदन के समय जमा की गई प्रतिभूति राशि एवं अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त उन्हें वापस कर दी जायेगी।

3. **थोक विक्रेता अनुज्ञप्तियों की संख्या का निर्धारण–** सम्पूर्ण राज्य में न्यूनतम पाँच थोक बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी। आयुक्त उत्पाद के द्वारा थोक अनुज्ञप्ति की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

4. **मदिरा के थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति की कालावधि –**

(i) इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्तियाँ वित्तीय वर्ष अथवा वित्तीय वर्ष के भाग के लिए बंदोबस्त की जायेंगी। बंदोबस्ती अवधि के बाद भी इन अनुज्ञप्तियों का नवीकरण आयुक्त उत्पाद के

अनुमोदन के पश्चात, मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मदिरा की थोक बिक्री संतुष्टि पूर्वक किये जाने तथा वांछित उत्पाद राजस्व की राशि जमा करने के उपरांत आगामी वित्तीय वर्ष के लिए किया जा सकेगा। अनुज्ञाधारी, आगामी वित्तीय वर्ष में अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन प्रत्येक वर्ष 20 जनवरी तक अवश्य रूप से जमा कर देगा।

(ii) इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्तियाँ एक वित्तीय वर्ष या वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्रदान की जायेगी, जिनका नवीकरण उपकंडिका– (i) के अनुरूप किया जा सकेगा।

(iii) अनुज्ञप्तियों का नवीकरण आयुक्त उत्पाद के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व ''झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022'' के नियम 5 एवं 6 से संबंधित दस्तावेजों के पुनः समीक्षा कर किया जायेगा।

5. मदिरा के खुदरा बिक्री मूल्य तथा थोक बिक्री मूल्य के निर्धारण हेतु थोक विक्रेता इस नियमावली के नियम 2 (xiv) में यथा परिभाषित EDP/EBP/EWP आयुक्त उत्पाद के समक्ष समर्पित करेगा।

6. आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. आवेदक को राज्य के सभी सचयनकर्त्ता गोदामों (वेयरहाउस) जो विभिन्न प्रक्षेत्र में JSBCL द्वारा संचालित होंगे उन सभी संचयकर्त्ता गोदामों से मदिरा की थोक बिक्री के लिए एक ही आवेदन समर्पित करना होगा।

8. झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022 के नियम, विज्ञप्ति की शर्त्तें मानी जायेंगी। प्रत्येक सफल आवेदक के लिए इस नियमावली में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन बाध्यकारी होगा।

9. आवेदक ''झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022'' की अधिसूचना एवं आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ को स्वअभिप्रमाणित कर उसे समर्पित करेगा।

10. प्रत्येक इच्छुक आवेदक jharkhandtender.gov.in/nic.in वेबसाइट पर लॉगइन कर ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकता है।

11. मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती से संबंधित तिथियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

12. उपरोक्त शर्त्तो में किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति में Clarification उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा। इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

आयुक्त उत्पाद,
झारखंड, राँची।

शपथ पत्र

मैं, (प्राधिकृत प्रतिनिधि)..., मेरी कम्पनी का निबंधित पता – ....,वर्त्तमान स्थानीय पता– ...., ''झारखण्ड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022'' के तहत...............................झारखण्ड राज्य में मदिरा की थोक विक्रेता अनुज्ञप्ति लेने हेतु सभी अहर्त्ताओं को पूरा करता हूँ एवं इस अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती लेने हेतु इच्छुक हूँ। मैं शपथ पूर्वक घोषित करता हूँ कि–

i. कम्पनी के सभी निदेशकों की आयु 21 वर्ष से अधिक है।

ii. आवेदक कम्पनी एवं उसके निदेशकों को, व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित अथवा झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के अंतर्गत बनायी गई किसी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित नहीं किया गया है।

iii. कम्पनी एवं इसके सभी निदेशकों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं इसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। हम में से किसी को झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985, झारखंड छोआ अधिनियम, 1947 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है।

iv. मेरी कम्पनी को कम–से–कम दो (2) वर्ष का मदिरा की थोक विक्रय का अनुभव है। इसके लिए संबंधित राज्य के जिला उत्पाद पदाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र अभ्यावेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है।

v. मेरी कम्पनी का विगत दो वित्तीय वर्ष में लगातार न्यूनतम 100 करोड़ रूपये प्रति वर्ष का Turnover है। इसके लिए कम्पनी के CA से निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न किया जा रहा है।

vi. कम्पनी एवं इसके सभी निदेशकों के उपर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया यथा Public Demand Recovery Act, राज्य सरकार द्वारा प्रभावी अन्य अधिनियम या नियमावली के तहत बकाया नहीं है।

vii. कम्पनी एवं इसके सभी निदेशक सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत भी यह प्रमाणित हो जाता है कि इनमें से कोई माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हुए तो कम्पनी को प्रदान की गई अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जाए।

viii. कम्पनी विभाग द्वारा यथानिर्धारित अप्रत्यपर्णीय आवेदन शुल्क/अनुज्ञप्ति शुल्क/ जमानत की राशि, विभाग को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जैसा कि विभाग निर्धारित करेंगा, आवेदन के साथ जमा किया गया है।

ix. कम्पनी आयकर दाता है।

x. कम्पनी दिवालिया नहीं है और आवश्यक निधि रखता है।

xi. अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत उक्त नियमावली के निमय 6 (xvi) में अंकित दस्तावेजों के अतिरिक्त एवं ब्राण्डों से संबंधित दस्तावेज को समर्पित करने के आवेदन पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा स्वीकृति प्रदान किया जा सकेगा एवं नियम 10 (iii) का अनुपालन थोक विक्रेता एवं आपूर्त्तिकर्त्ता को करना होगा।

xii. उपरोक्त शपथ में दिये गये सभी कथन सत्य हैं और किसी तथ्य को छुपाये जाने पर जिसकी जानकारी बाद में यदि सरकार को मिलती है, तो कम्पनी की अनुज्ञप्ति को रद्द किया जा सकता है, जिसके लिए कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगा एवं कम्पनी के उपर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

नोटरी पब्लिक का हस्ताक्षर एवं उनकी पहचान संख्या

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

COUNTERPART-AGREEMENT

This deed is made on this .... Day of .... 2022 between the Governor of Jharkhand acting though the Excise Commissioner, Jharkhand (hereinafter called the Governor, which expression shall unless, inconsistent with the subject or context, include his successors in office) of the one part and (hereinafter called the licensee which expression shall, unless inconsistent with the subject or context, include his permitted assigns) of the other part.

Whereas the license of Foreign liquor (spirit/malt) and Country liquor supply and storage in form 1D has been granted on.................................... by the Excise Commissioner Jharkhand.

Now, therefore, this deed witnesses that-

1) The licensee shall abide by and carry out all his obligations under the terms and condition of the said license.
2) The licensee shall always maintain a security deposit of Rs.2,00,00,000/- (Rs. Twocrore only) with the Excise Commissioner for the due fulfillment of the conditions of the license.
3) Any penalty imposed on the licensee under the Jharkhand Excise Act, 1915 or the rules made thereunder or instructions/orders issued by Excise Commissioner, Jharkhand or any other liability incurred by him under the Act, shall be recoverable by the Governor from his security deposit or any amount due to him or any movable revenue, without prejudice to any other legal remedy the State Government may seek for the purpose.

In witness thereof the parties hereto have signed this deed on the date and year respectively mentioned against their signatures.

Excise Commissioner, Jharkhand
On behalf of the Governor of Jharkhand
Date...................................

Witness :
1......................................
2......................................

Licensee
Full name and address
Date..........................